[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं.- 88/2020- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 नवंबर , 2020

सा.का.नि. .... (अ) केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार , जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2020 - केंद्रीय कर , दिनांक 21 मार्च 2020 , जिसे सा.का.नि. 196 (अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण, के भाग-II , खण्ड -3 , उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था में, निमंलिखित और संशोधन करती है , यथा :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 जनवरी 2021 से प्रभावी, शब्द “पांच सौ करोड़ रुपये” के स्थान पर शब्द "एक सौ करोड़ रुपये " प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[फा. सं.-सी.बी.ई.सी.-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 13/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 21 मार्च 2020 को सा.का.नि. 196 (अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसमें अधिसूचना संख्या 70/2020 - केंद्रीय कर , दिनांक 30 सितम्बर 2020 , जिसे सा. का. नि. 596 (अ) दिनांक 30 सितम्बर 2020, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।